



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।  
पत्रांक 530/12-1 दिनांक, मसूरी 5-08-2016।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
(पी0एम0जी0एस0वाई0),  
सिंचाई खण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा (कालीगाड़) से नालीकलां मोटर मार्ग (कुल लम्बाई -11.425 किमी0) के निर्माण हेतु 9.194 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय की पत्र सं0 215/12-1, दि0 19-07-2016 एवं 449/12-1, दि0 30-07-2016।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में आपसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून के स्तर से दिनांक 16-6-2016 द्वारा ई0डी0एस0 क्वेरी में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए संगत दस्तावेजों के साथ आनलाईन करते हुए उक्त दस्तावेजों की हार्ड प्रति (मूल पदनाम सहित हस्ताक्षरित) के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु प्रस्तावक/ पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्रों एवं ई0डी0एस0 में इंगित कमियों का निराकरण किये बिना आनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु किया जा रहा है। आनलाईन जॉच /परीक्षण करने पर वांछित सूचना /अभिलेख जो प्रस्तावक विभाग के स्तर से आनलाईन की जानी है भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेबसाईट पर बिना किसी संलग्नक के रिक्त है और न ही वांछित अभिलेखों दस्तावेजों की हार्ड प्रति ही उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण के आनलाईन प्रस्ताव में पायी गयी कतिपय कमियों का निराकरण करते हुए ई0डी0एस0 के माध्यम से आनलाईन करते हुए संगत दस्तावेजों की हार्ड प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न-उक्तानुसार।

पत्रांक 530 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्न को उक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में सादर प्रेषित।

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।

भवदीय

(डा0 धीरज पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(डा0 धीरज पाण्डेय)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक  
सेवा में

कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।  
दिनांक, देहरादून, जुलाई, 04, 2016

प्रभागीय वनाधिकारी,  
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी ।  
विषय: जनपद देहरादून के रायपुर ब्लाक में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सहस्त्रधारा  
(कालीगाड) से नालीकला मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 11.425किमी) के निर्माण हेतु 9.194हे0  
वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति  
विषयक प्रस्ताव ।  
संदर्भ: प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 13657 /2015

महोदय,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के स्तर दिनांक 18-6-2016 को ई0डी0एस0  
क्वैरी प्राप्त हुई है, जो ऑन लाईन प्रेषित है। ई0डी0 एस0 क्वैरी में लगाई गई आपत्ति निम्न प्रकार है :-

आपत्ति	निराकरण
1. GIS map provide/upload scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the lignment of the proposed road including all turning points (.TIFF, .IMG or .JPEG). The google earth map will not be accepted for the purpose.	GIS map
2. Cost benefit analysis (C/B) uploaded in Part I is not as per prescribed format VI (b) and VI(c) in the guideline. The State Govt may provide C/B analysis as per prescribed format should be quantified in monetary terms.	-
3. There is presence of non forest land in the proposed road but in village wise break up the area does not shown in the column of non forest land need justification or necessary correction.	will wise break up no forest land
4. The village wise break up shows that the road passed from the area of four villages but in the village level committee proceedings of FRA certificate only one gram panchayat is mentioned. The State Govt may comment on the same and if required provide VLC proceedings for other gram sabhas also.	5 gram panchayat
5. Component wise break up in online Part I does not indicate the area details marked for other components like muck disposal etc.	-
6. The CA stipulation against total forest area diverted in the district is not commensurate. The State Govt may do necessary correction or justify the differences with factual reasons.	-
7. The details of trees proposed to be felled provided in hard copy, it is seen that the counting of trees done in 7m width in few compartments. As the width of the road proposed for diversion is 9m therefore the revised tree enumeration taking 9m width may provide and correct the same in online Part II.	on 9m width
8. In the muck disposal plan it is not clear that the area marked for muck disposal in the area other than the private land is included in the forest land proposed for diversion. The revised land schedule may be provided	

आपात्त	निराकरण
9. Authenticated copy of Part I, II, III, IV, and V may be provide to this office of the same uploaded in online web portal.	
10. The NPV calculated at the rate prescribed for very dense forest while 77 trees per hectare does not account for very dense forest category. The State Govt is also categorised the forest in Eco class III which seems inappropriate as per species of the area concern. The State Govt may review the Eco class and NPV rate and provide/upload the revised information to this office.	
11. As per Decision Support System (DSS) analysis, out the total area of 18.388 ha proposed for CA, 5 ha is on moderately dense forest. State Govt may replace this 5 ha area with some other area suitable for CA and provide/upload revised digital map, Sol topohseet map and KML file of the complete 18.388 ha CA area again after making the above change.	प्रस्तावक निमग्न

कृपया क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार के स्तर से लगाई गई बिन्दुवार क्वेरी का निराकरण संगत दस्तावेजों के साथ ऑन लाईन करते हुए उक्त दस्तावेजों की हार्ड प्रति ( मूल पदनाम सहित हस्ताक्षरित ) साथ-साथ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

4

( भुवन चन्द्र )

मुख्य वन संरक्षक,

समुनाकृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

संलग्नक-यथोपरि।

पत्रांक 14 / 12-1 (1) दिनांक-16

प्रतिलिपि-अधिशाली अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, सिंवाई खण्ड, 6 इन्दिरानगर, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

( भुवन चन्द्र )

मुख्य वन संरक्षक,

समुनाकृत, उत्तराखण्ड, देहरादून ।